प्रेस नोट
दिनांक 23.12.2024

थाना को0 देहात पुलिस द्वारा धोखाधडी एवं कूटरचित तरीके से फर्जी एफ0डी0 के नाम पर लोगो से करोड़ों रूपयों की धोखाधड़ी करने के आरोपी अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार–

कार्यवाही–

पुलिस अधीक्षक गोण्डा श्री विनीत जायसवाल द्वारा अपराध एवं अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री मनोज कुमार रावत के पर्यवेक्षण व क्षेत्राधिकारी नगर श्री सौरभ वर्मा के नेतृत्व में थाना को0 देहात पुलिस द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0सं0–175/24, धारा 409,419,420,467,468,471 भादवि, मु0अ0सं0–411/24, धारा 406,419,420 भादवि, मु0अ0सं0–412/24, धारा 406,419,420,350,504,506 भादवि से सम्बन्धित आरोपी अभियुक्त राम कैलाश पुत्र रक्षाराम नि0 परसिया रानी थाना कौड़िया जनपद गोण्डा को ग्राम चंदवतपुर पिपरा पदुम जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर लिया गया।

घटना का संक्षिप्त विवरण–

दिनांक 29.04.2024 को वादी राजेश कुमार नि0 ग्राम पकड़िया जोत थाना को0 देहात जनपद गोण्डा द्वारा थाना को0 देहात में लिखित तहरीर दी गयी कि ग्राहक सेवा केन्द्र चन्दवतपुर के संचालक राम कैलाश द्वारा उसकी माता के खाते से फिक्सडिपोजिट के नाम पर 96,000 रूपये हड़प लिए है तथा इसी प्रकार राम कैलाश द्वारा कुशम देवी पत्नी दीपक कुमार नि0 परसिया रानी थाना कौड़िया के खाते से फिक्सडिपोजिट के नाम पर 25,000 रूपये हड़प लिए है। वादी की तहरीर पर थाना को0 देहात में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत हुआ। इसी क्रम में अभियुक्त राम कैलाश के विरूद्ध दिनांक 03.09.2024 को वादिनी वर्षा पुत्री स्व0 बलवन्त सिंह नि0 ग्राम बसंतपुर डीहा थाना कौड़िया जनपद गोण्डा की तहरीर पर मु0अ0सं0–411/24, धारा,419,420,406 भादवि व वादी अशोक कुमार सिंह पुत्र फकीर चन्द नि0 ग्राम बसन्तपुर थाना कौड़िया जनपद गोण्डा की तहरीर पर मु0अ0सं0–412/24, धारा 406,419,420,352,504,506 भादवि का अभियोग पंजीकृत हुआ। **विवेचना के दौरान प्राप्त साक्ष्य संकलन के आधार पर ज्ञात हुआ कि अभियुक्त राम कैलाश अपने ग्राहक सेवा केन्द्र चन्दवतपुर में आने जाने वाले लोगों की धोखाधडी व कूटरचना तरीके से फर्जी एफडी तैयार करता था तथा बिना खाते में पैसा जमा किए ही पासबुक में अपने हस्तलेख में जमाधन की इंट्री कर देता था परंतु पैसा बैंक में जमा नही करता था। इस प्रकार अभियुक्त राम कैलाश द्वारा लोगो से लगभग करोड़ों रूपयों की धोखाधड़ी की गयी है।** आज दिनांक 23.12.2024 को थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अभियुक्त राम कैलाश को बहद ग्राम चंदवतपुर पिपरा पदुम जाने वाले रास्ते से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरूद्ध थाना को0 देहात पुलिस द्वारा अग्रिम विधिक कार्यवाही कर माननीय न्यायालय रवाना किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त–

01. राम कैलाश पुत्र रक्षाराम नि0 परसिया रानी थाना कौड़िया जनपद गोण्डा।

पंजीकृत अभियोग–

01. मु0अ0सं0–175/24, धारा 409,419,420,467,468,471 भादवि थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
02. मु0अ0सं0–411/24, धारा 406,419,420 भादवि थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।
03. मु0अ0सं0–412/24, धारा 406,419,420,352,504,506 भादवि थाना को0 देहात जनपद गोण्डा।

<u>गिरफ्तार कर्ता टीम–</u>

01. प्र0नि0 संजय कुमार सिंह थाना को0 देहात।
02. अति0 प्र0नि0 संतोष कुमार सिंह।
03. हे0का0 बंका सिंह।
04. हे0का0 आत्मा सिंह।
05. का0 जागेश्वर गौड़।
06. का0 भरत कुमार।

<u>मीडिया सेल,गोण्डा।</u>